फर्द गिरफ्तारी

(राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 64 के अंतर्गत)

बसिलसिले तफ्ती	श एप	ःआई₊	आर. क्रम	नाक						दिनांक		
दिनांक					जुर्म	दप	ភា		राजस्थान	फोरेस्ट	एक्ट	1953
नमुकाम												
दिनांक					समय							
द्वारा वनधिकारी												
रूबरू स्टाफ	(1)						_					
	(2)						_					
	(3)						_					
	(4)											
एव मोतबिरान	(1)						_					
	(2)						_					
	(3)											
	(4)											
उत एफ आई उ	भार	के	केस	मे	मुल्जिम	Ą	ì <u> </u>					पुत्री
					~					ਸ਼		_
निवासी			पुलिस	খানা	Γ			जेला				
दफा					_ राजस्थान	न फो	रिस्ट एक्ट 1953 व	मे धारा	64 (1) राजर	-थान फोरे	स्ट एक्ट	1953
के अन्तगर्त गिरः	म्तार '	किया	गया									
	शाः	रीरिक	हालत मु	ल्जिम								
					:	1.	पहनाव					
					:	2.	रंग					
					;	3.	शरीर का विवरण					
						4.	विशेष विवरण					
					!	5.	कद मुल्जिम					
को जामा तलाशी	फर्द ३	भलग र	प्ते कायम	की ज	ाकर शामित	त्र मि	नेसल कीजवेगी उत्त	ा मुल्जि	म की गिरफ़्त	ार फर्द की	जाकर ह	ाजरीन

हस्ताक्षर साक्षी हस्ताक्षर अधिकारी

को सुनाई गई | सबने यही तसलीम को | अतः बतौर साक्षी निशानी हस्ताक्षर ली गयी |

फर्द जमातलाशी

(राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 64 के अंतर्गत)

मुल्जिम	श्री					पुत्र		
जाति		निवासी			पुलिस			
			को	बसिलसिले	तफ़्तीश	एफ.आई.आर.	न	
दिनाक		समय			पर।			
रूबरू स्टाफ	(1)							
	(2)							
	(3)							
राजस्थान फोरेस्	ट एक्ट 195	53 की धारा					का जुर्म करव	ने पर
राजस्थान फोरेस्ट	ट एक्ट 1953	3 में धारा 64	के अन	तगर्त गिरफ़्त	ार कर उक्त ह	जरीन के समक्ष	मुल्जिम की जामा तलाई से लिवाई	
						_	ा है। फर्द जमातलाशी हा तौर साक्षी लिए गये।	जरीन

विवरण सामान :-

फर्द अभिग्रहण

(राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52 वन्य जीव की सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 50 के अंतर्गत)

·			5							•
बसिलसिले तफ्तीश एफ-आई-आर- क्रमाक								दिनांव	<u>-</u>	
जुर्म दफा	राजस्थान	फोरेस्ट	एक्ट	1953/	वन्य	जीव	की	सुरक्षा	अधिनियम	1972
नमुकाम										
दिनांक	समय									
द्वारा वनधिकारी										
रूबरू हमराहिवान (स्टाफ) (1)										
(2)										
(3)										
एम मौतबिरान सर्व (1) श्री										
(2)										
(3)					_					
निम्नलिखित सामान राजस्थान फोरेस्ट एक	-c 1953/ ਰ ਵਾ	य जीव र्व	ो सुरक्ष	ग अधिवि	नेयम व	की जु	र्म दप	តា		
के जुर्म एक्ट की धारा 52(1) / 50(1) सी	द्वारा प्रदत उ	अधिकारो	के अंत	नर्गत क	ब्जे सर	कार त	त्री ग	यी तथा	कब्जे मे ति	नेए गए
सामान पर पहिचान हेतु		चिन्ह ल	गाई ग	ई ।						
		_								
उक्त वर्णित सामान अभिग्रहण बनाई जाक	न्र हाजरीन को	ो सुनाई	गई जे	सबने	सुन क	ज्र बाट	; तस	ाल्ली की	ो अत: बतौर	साक्षी
हस्ताक्षर/ निशानी ली गयी।										

(राजस्थान सरकार)

वन-विभाग

सुपुर्दनामा

बसिलि	मेले तफ्तीश एफ आई.	आरः नः	दिनांक_		
	लिख देनेवाला मै_	वल्द			
कौम _		साकिन			_
पुलिस	थाना	तहसील			
जिला_		् का हूँ जो कि आफिसर जंगल		ने तफ़्सी	ल माल
		जब्त किया है । वह मेरे सुपुर्द आज तारीख			
		को किया है। मै इस इकरार नामे के बम्जिब इसमाल को अपनेतांबे			
		जब भी कोई आफिसर जंगल तलब करेगा फोरन पेश करुंगा।			"
तारीख_					
तिफ्सिल	माल सपर्दशदा				
	33 3				
नाम ग	वाह जिनके रूबरू माल	ा सुपुर्द किया गया।			
			दस्तखतः	या अंगूठा	निशान
			सुपुर्दद	ार के	

वन विभाग, राजस्थान

फार्म दरख्वास्त एवजाना निस्बत जुर्म जंगल

मुझे फोंरेस्ट गार्ड			ने तारीख
बरोज	बवक्त	Γ	लकड़ी काटते/
	दरख्त काटते_		
चराई मवेशी करते/			घास काटते
			गया है। मुझे जुर्म जेर दफा एक्ट
			। इकबाल है और मै बख़ुशी खुद
मुबलिग(एवजाना औ	τ)		
कीमत माल गिरफ्तार	शुदा देने को रजाम	नंद हूँ जो मंजूर फरमाय	ा जावे।
तारीख	200		
नाम गवाह :(1)			
(/			दस्तखत या अंगूठा मुल्जिम
	रिपोर्ट अफ़सर	एवजाना तजर्न	वि कुनिन्दा
जनाबअली			
मुल्जिम		वल्द	कोम
साकिन	को फोंरेस्ट	गार्ड	ने तारीख
माह	सन 200	बरोज_	जुर्म
			इकबाल कर बखुशी खुद मुबलिग
3		(एवजाना	
कीमत भटाकर दिया है	है जिसकी रसीट म	ल्जिम को टी गयी है।	दरख्वास्त हाजा बिनावर मंजूरी
इरसाल खिदमत आलि	J	Sier in di etal (1	איים איים וחיווחי טוטניו
	•		
तारीख			नाम अफसर

अज दफ्तर डिवीजनल फोरेस्ट आफिसर

बाद दर्ज राजिस्टर नः	वापसी होवे एवजाना मुबलिग रु
कीमत माल रु	मन्जुर है सो वसूल कर रकम हिसाब मे दर्ज की जावे।
तारीख200	
	डिवीजनल फोरेस्ट आफ़िसर

राजस्थान सरकार वन विभाग

सीजन मार्का

(अंतर्गत धारा 52(I) राजस्थान वन अधिनियम 1953)

1.	सीजन करने वाले अधिकारी का नाम व पद
2.	स्थान
3.	दिनाक:
4.	समय :
5.	वन अपराध जिनके सन्देह मे सीज किया
6.	
7.	सीज शुदा संपत्ति का विवरण
8.	जिस व्यक्ति के पास किया उसका नाम पता आदि
ह.	साक्षी ह. उस व्यक्ति के जिसके कब्जे में सीज किया। अधिकारी के हस्ताक्षर
	राजस्थान सरकार वन विभाग
	सीजन मार्का
	(अंतर्गत धारा 52(I) राजस्थान वन अधिनियम 1953)
1.	सीजन करने वाले अधिकारी का नाम व पद
2.	स्थान
3.	दिनाक:
4.	समय :
5.	वन अपराध जिनके सन्देह मे सीज किया
6.	
7.	सीज शुदा संपत्ति का विवरण
8.	जिस व्यक्ति के पास किया उसका नाम पता आदि

ह. साक्षी ह. उस व्यक्ति के जिसके कब्जे मे सीज किया। अधिकारी के हस्ताक्षर

69

वन विभाग, राजस्थान

First Information Report

अ्पराध को प्रारस्मिक सूचना तृतीय प्रति

हस्ताक्षर रिपोर्ट कुनिन्दा

रिफोर्ट क्निन्दा को सूचना मिलते के 24 घन्टे के अन्दर यह सूचना रवाना करनी चाहिये।।

मौका पंचनामा

(राजस्थान वन अधिनियम 1983 की धारा 72 (सी) के अंतर्गत)

बसिलसिले तफ्तीश एफ॰आई॰आर॰ क्रमाक		दिनांक
बमुकाम		
दिनांक	समय	
द्वारा वनधिकारी		
रूबरू हम राहियान (स्टाफ) (1)		
(2)		
(3)		
हालात मौका		

पर्चा मौका रित किया जाकर हाजरीन को पढ़कर सुनाया गया जो सबने सुनकर सही होना तसलीम किया।

अतः बतौर साक्षी हस्ताक्षर/निशानी ली गयी।

वन विभाग राजस्थान

बयान-फार्म

नाम		_पिता का नाम_	
जाति	निवा	स	
पुलिसथाना		तहसील_	
			3म्
दिनांक		बाद दरियप्त	पर बयान करता हूँ कि आज दिनांक
	कोबाबत		 स्थान
			पर राजस्थान वन अधिनियम 1953
की धारा		_के अंतर्गत	
	(3	अपराध का विवर	ण) मुझे
ने विमान्त्रम किया है।			

ने गिरफ्तार किया है।

फर्द अधिग्रहण

(राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52 वन्य जीव की सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 50 के अंतर्गत)
बसिलसिले तफ्तीश एफ . आई . आर . क्रमांक दिनांक
जुर्म दफा रा. फोरेस्ट एक्ट 1953 / वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972
बमुकाम
दिनांक समय द्वारा वनाधिकारी
रुबरू हमरहिवान (स्टाफ) (1)
(2)
(3)
एवं मौतवीरान सर्व (1) श्री
(2)
(3)
निम्न्निलिखित सामान राजस्थान फारेस्ट एक्ट 1953 वन्य जीव की सुरक्षा अधिनियम की जुर्म
दफा
के जुर्म एक्ट की धारा 52 (1)/50 (1) सी द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत कब्जे सरकार ली गई तथा कब्जे में
लिए गए सामान पर पहिचान हेतु चिह्न लगाई गई।

वक्त वर्णित सामान अधिग्रहण कर फर्द अधिग्रहण बनाई जाकर हाजरीन को सुनाई गई जो सबने सुन कर बाद में तसल्ली सही बाद तसलीम की अतः बतौर साक्षी हस्ताक्षर / निशानी ली गई।

नजरी नक्शा

(राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 52 (सी) के अंतर्गत)

बसिलसिले	तफ्तीश	एफ .	आई .	आर .	क्रमांक		दिनांक			बमुकाम
दिनांक वनाधिकारी .								नय 		द्वारा
रूबरू स्टाफ										
	(2)									
	(4)									
हालात मौका	जुर्म (नज	ारी नक्शा	·)							
			_		•					
			•	3प वन	संरक्षण र	(।जस्थान				
				ৰ	यान फार	र्म				
नाम पिता व	ता नाम र	जाति नि	वास पुलि	स थाना	तहसील	जिला पे	शा उम्र दि	नांक		
बाद दरियाफ	त पर बर	यान करत	ग हूँ कि	आज दि	नांक				_को बाक्त	ा स्थान
									ਸ 1953 ਵ	
								ारा (अपर	राध का वि	वरण)
मुझे				ने	गिरफ्ता	र किया व	गया है ।			
								ह	स्ताक्षर बर	ग्रन कर्ता

मुचलका - मुल्जिम

(राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 65)

मैंपुत्रपुत्र जाति (निवासी)पु जिला	
का हूँ जो कि मैं इस तहरीर की रु. से इकरार करता हूँ कि (मुझे अफसर जंग	
जुर्म (जंगल) धारा करते हुए गिरफ्तार किया हैं। मैं रुका ग	नुचलका पेश कर (इस तहरीर की
रु. में) इकरार करता हूँ कि अफसर जंगलात या मजिस्ट्रेट के तलब करने प	र फौरन हाजिर होऊँगा और इसमें
चूक हो तो कसूरवार रहूँगा, और ऐसा होने पर मेरा मुचलका मुबलिग रु .	(रु) जब्त सरकार
किये जाने की आवश्यक कार्यवही की जाने हेतु पाबन्द रहूँगा। हाजिर मुचलका	लिख दीना जो सनद रहे वक्त पर
काम आवे।)	
ह. साक्षी	
(1)	
(2)	ह. मुल्जिम
फर्द जमानत हाजरी	
मृत्य जानानारा हाजरा	
(राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 65)
ਮੈਂ ਸਭ ਤਾਰਿ (ਰਿਗਸੀ) ਸੰ	•
मैंपुत्रपुत्र जाति (निवासी)पु	लिस थाना तहसील
जिला का हूँ।	
जिला का हूँ।	ने श्री
जो की अफसर जंगलात जाति निवासी जिन्हें वन अपराध के संबन्ध में गिरफ्तार किया है मैं अच्छी तरह जनता हूँ। औ	ने श्री पु. थाना र आज तारीख को इसकी मुबलिग
जो की अफसर जंगलात	ने श्री पु. थाना र आज तारीख को इसकी मुबलिग जिस्ट्रेट के तलब करने पर फौरन
जो की अफसर जंगलात जाति निवासी जिन्हें वन अपराध के संबन्ध में गिरफ्तार किया है मैं अच्छी तरह जनता हूँ। औ	ने श्री पु. थाना र आज तारीख को इसकी मुबलिग जिस्ट्रेट के तलब करने पर फौरन
जो की अफसर जंगलात	ने श्री पु. थाना र आज तारीख को इसकी मुबलिग जिस्ट्रेट के तलब करने पर फौरन
जो की अफसर जंगलात	ने श्री पु. थाना र आज तारीख को इसकी मुबलिग जिस्ट्रेट के तलब करने पर फौरन
जो की अफसर जंगलात जाति निवासी जिन्हें वन अपराध के संबन्ध में गिरफ्तार किया है मैं अच्छी तरह जनता हूँ। औ रु (रु) की देकर इकरार करता हूँ कि अफसर जंगलात या महाजिर करूंगा। अगर हाजिर नहीं करूं तो जमानत मुबलिग रु. जब्त नहीं होगा।	ने श्री पु. थाना र आज तारीख को इसकी मुबलिग जिस्ट्रेट के तलब करने पर फौरन
जो की अफसर जंगलात	ने श्री पु. थाना र आज तारीख को इसकी मुबलिग जिस्ट्रेट के तलब करने पर फौरन

मुचलका - मुल्जिम

(राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 65)

मैं पुत्र जाति (निव -	वासी) पुलिस थाना तहसील
·	हूँ कि (मुझे अफसर जंगलात ने आज दिनांक को
3	या हैं। मैं रुका मुचलका पेश कर (इस) तहरीर की
••	जेस्ट्रेट के तलब करने पर फौरन हाजिर होऊँगा और इसमें ा मुचलका मुबलिग रु (रु) जब्त सरकार
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, रहूँगा। हाजिर मुचलका लिख दीना जो सनद रहे वक्त पर
काम आवे।)	
ह. साक्षी	
(1)	
(1)	
(2)	ह. मुल्जिम
फर्द जमानत हाजरी	
(राजस्थान वन अधि	नियम 1953 की धारा 65)
मैं पुत्र जाति (निव का हूँ।	सी) पुलिस थाना तहसील
जो की अफसर जंगलात	ने श्री
पुत्र श्री जाति	निवासी पु. थाना
जिन्हें वन अपराध के संबन्ध में गिरफ्तार किया है मैं	पु. थानाअच्छी तरह जनता हूँ। और आज तारीख को इसकी मुबलिग
जिन्हें वन अपराध के संबन्ध में गिरफ्तार किया है मैं रु (रु) की देकर इकरार करता हूँ वि	पु. थानाअच्छी तरह जनता हूँ। और आज तारीख को इसकी मुबलिग के अफसर जंगलात या मजिस्ट्रेट के तलब करने पर फौरन
जिन्हें वन अपराध के संबन्ध में गिरफ्तार किया है मैं रु (रु) की देकर इकरार करता हूँ वि हाजिर करूंगा। अगर हाजिर नहीं करूं तो जमानत म्	पु. थानाअच्छी तरह जनता हूँ। और आज तारीख को इसकी मुबलिग
जिन्हें वन अपराध के संबन्ध में गिरफ्तार किया है मैं रू (रु) की देकर इकरार करता हूँ वि हाजिर करूंगा। अगर हाजिर नहीं करूं तो जमानत म् नहीं होगा।	पु. थानाअच्छी तरह जनता हूँ। और आज तारीख को इसकी मुबलिग के अफसर जंगलात या मजिस्ट्रेट के तलब करने पर फौरन
जिन्हें वन अपराध के संबन्ध में गिरफ्तार किया है मैं रु (रु) की देकर इकरार करता हूँ वि हाजिर करूंगा। अगर हाजिर नहीं करूं तो जमानत म्	पु. थानाअच्छी तरह जनता हूँ। और आज तारीख को इसकी मुबलिग के अफसर जंगलात या मजिस्ट्रेट के तलब करने पर फौरन
जिन्हें वन अपराध के संबन्ध में गिरफ्तार किया है मैं रू (रु) की देकर इकरार करता हूँ वि हाजिर करूंगा। अगर हाजिर नहीं करूं तो जमानत म् नहीं होगा।	पु. थानाअच्छी तरह जनता हूँ। और आज तारीख को इसकी मुबलिग के अफसर जंगलात या मजिस्ट्रेट के तलब करने पर फौरन
जिन्हें वन अपराध के संबन्ध में गिरफ्तार किया है मैं रू (रु) की देकर इकरार करता हूँ वि हाजिर करूंगा। अगर हाजिर नहीं करूं तो जमानत म् नहीं होगा। तारीख	पु. थानाअच्छी तरह जनता हूँ। और आज तारीख को इसकी मुबलिग के अफसर जंगलात या मजिस्ट्रेट के तलब करने पर फौरन
जिन्हें वन अपराध के संबन्ध में गिरफ्तार किया है मैं रू (रु) की देकर इकरार करता हूँ वि हाजिर करूंगा। अगर हाजिर नहीं करूं तो जमानत म् नहीं होगा। तारीख गवाह :	पु. थानाअच्छी तरह जनता हूँ। और आज तारीख को इसकी मुबलिग के अफसर जंगलात या मजिस्ट्रेट के तलब करने पर फौरन